

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—973 / 2012
 संस्थित दिनांक—30 / 11 / 2012
 फाईलिंग क्र.234503001812012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

मनीष सार्थी पिता सेवकराम सार्थी उम्र—30 वर्ष,
 निवासी—पुराना चंगोरा भाटा, पानी टंकी के पीछे रायपुर
 थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—28 / 09 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—25.06.2012 को सुबह 10—10:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत बिरसा बेरियर के पास लोकमार्ग पर वाहन टाटा इंडिका क्रमांक—सी.जी—04 / एच.बी—1611 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत ओमप्रकाश की मोटरसाईकिल को ठोस मारकर आहत ओमप्रकाश को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया द्वारा दिनांक—25.06.2012 की अस्पताल तहरीर की जांच कर ओमप्रकाश वरकड़े एवं साक्षी कृष्णा यादव के कथन लेखबद्ध किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक—25.06.2012 को 10—10:30 बजे मोहगांव से बिरसा जाते समय, बिरसा बेरियर के पास सालेटेकरी तरफ से जा रही सफेद मारुति टाटा इंडिका क्रमांक—सी.जी—04 / एच.बी—1611 के चालक मनीष सार्थी द्वारा तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटरसाईकिल चालक ओमप्रकाश को आहत किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिरसा में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—76 / 2012, धारा—279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 के

अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत ओमप्रकाश की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-25.06.2012 को सुबह 10-10:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत बिरसा बेरियर के पास लोकमार्ग पर वाहन मारुति टाटा इंडिका क्रमांक-सी.जी-04/एच.बी-1611 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल को ठोस मारकर आहत ओमप्रकाश को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत ओमप्रकाश (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व सुबह 9:30 बजे बिरसा पेट्रोल पम्प के पास की है। घटना दिनांक को वह ग्राम मोहगांव से अपनी मोटरसाईकिल में अपनी साईड से बिरसा जा रहा था, तभी सामने से एक चार पहिया वाहन आया और उसकी साईड में आकर उसे टक्कर मार दी थी। घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। उक्त दुर्घटना में उसे नाक

के पास में, बाएं हाथ की भुजा में और दाएं जांघ में और नीचले भाग में चोट आई थी। उक्त दुर्घटना चार पहिया वाहन चालक की गलती से हुई थी। उसे आज दिनांक तक जानकारी नहीं लगी कि घटना के समय चार पहिया वाहन कौन चला रहा था। पुलिस ने उससे उसके ईलाज से संबंधित दस्तावेज जप्त किये थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 के पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— रौनूसिंह धुर्वे (अ.सा.1), कृष्णा यादव (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे दिनांक-25.06.2012 को कृष्णा यादव के खेत तरफ गये थे, तब बिरसा पेट्रोल पम्प के पास एक मोटरसाईकिल एवं जीप की दुर्घटना हो गई थी, जहां पर भीड़ लगी थी, तो वे भी घटनास्थल पर गए थे। आहत घटनास्थल पर पड़ा हुआ था। उन्होंने उस समय चार पहिया वाहन का नम्बर देखा था और पुलिस को अपने कथन में बता दिया था। चार पहिया वाहन का चालक न्यायालय में उपस्थित आरोपी था। उन लोगों ने आहत को ईलाज हेतु बिरसा अस्पताल लेकर गए थे। पुलिस ने उनके समक्ष घटनास्थल से मोटरसाईकिल और चार पहिया वाहन लेकर गए थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 एवं 2 पर उनके हस्ताक्षर हैं।

7— राकेश नाहर (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी मनीष सार्थी को जानता है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमा के दस्तावेज जप्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पुलिस थाना बिरसा को लिखित जवाब, जिसमें घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-सी.जी-04/एच.बी-1611 ड्राइवर मनीष सार्थी चला रहा था, वाली बात लेख कर प्रदर्श पी-5 के माध्यम से दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी।

8— डॉ. हेमा बिसेन (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.06.2012 को सी.एस.सी. बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को आरक्षक भीवराम क्रमांक-1020, थाना बिरसा द्वारा आहत ओमप्रकाश को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के शरीर पर 6 चोटें पाई थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किया है कि चोट क्रमांक-1 से 4 तक की चोट किसी बोथरी एवं कड़ी वस्तु से आना प्रतीत होती थी तथा चोट क्रमांक-5 व 6 खुरदुरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक-1 व 2 के लिए आहत को एक्सरे की सलाह दी

गई थी, जिसके लिए उसे जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सीय साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आहत ओमप्रकाश को दुर्घटना के कारण चोट कारित होने की पुष्टि की है।

9— डॉ. जे. राय चौधरी (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.06.2012 को प्राईवेट अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ओमप्रकाश पिता तेजसिंह, उम्र-30 वर्ष को भर्ती कराया गया एवं आहत के दाहिने जांघ की हड्डी, दाहिने पांव की हड्डी एवं बाये हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। आहत का दिनांक-28.06.2012 एवं दिनांक-02.07.2012 को ऑपरेशन किया गया, जिसमें पांव की हड्डी, जांघ की हड्डी और हाथ की हड्डी में रॉड एवं प्लेट लगाया गया। आहत को अस्पताल से दिनांक-04.07.2012 को डिस्चार्ज किया गया। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 से लगायत ए-3 है। आहत के बताए अनुसार रोड एक्सीडेंट से उक्त चोट आई थी। आहत की भर्ती एवं ईलाज पर्ची प्रदर्श पी-13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत की डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी-14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट देखने पर उसने पाया कि आहत की दाहिने जांघ की हड्डी, दाहिने पांव की हड्डी एवं बाये हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। उक्त चिकित्सीय साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आहत ओमप्रकाश को अस्थिभंग होने की पुष्टि की है।

10— अनुसंधानकर्ता राजेश सनोडिया (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.06.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शासकीय अस्पताल बिरसा से अस्पताल तहरीर जिसमें आहत ओमप्रकाश वरकड़े को शासकीय चिकित्सालय बिरसा में मारुति से टकराने से दुर्घटना उपरान्त भर्ती किया गया था, उसे प्राप्त हुई थी। उक्त अस्पताल तहरीर की जांच उपरान्त प्रदर्श पी-8 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-76/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत ओमप्रकाश का मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बिरसा से कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट एवं अस्पताल तहरीर चालान के साथ संलग्न है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-25.06.2012 को घटनास्थल का नजरीनक्शा कृष्णा यादव की निशानदेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी कृष्णा यादव, रौनूसिंह एवं दिनांक-24.07.2012 को आहत ओमप्रकाश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।

11— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक-25.06.2012 को घटनास्थल से टाटा विक्टा क्रमांक-सी.जी-04/एच.बी-1611 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उक्त घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार एक मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50-एम.ए-0337 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-25.06.2012 को ही आरोपी मनीष सार्थी से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार चार पहिया वाहन के दस्तावेज जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-24.07.2012 को धुर्व किशोर मरावी से साक्षियों के समक्ष आहत की मोटरसाईकिल से संबंधित दस्तावेज जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-29.08.2012 को आहत ओमप्रकाश से उसके ईलाज के दस्तावेज एवं एक्सरे प्लेट जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-25.06.2012 को आरोपी मनीष को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा चार पहिया वाहन का मैकेनिकल परीक्षण नवीन गोस्वामी से करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है तथा आहत की मोटरसाईकिल का परीक्षण बस्तुराम से करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है। उसके द्वारा वाहन क्रमांक-सी.जी-04/एच.बी-1611 के वाहन मालिक को धारा-133 मोटरयान अधिनियम के तहत नोटिस देकर घटना के समय आपका वाहन कौन चला रहा था कि जानकारी चाही गई थी, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नोटिस के जवाब में वाहन मालिक राकेश कुमार नाहर के द्वारा घटना दिनांक को उक्त विक्टा वाहन को मनीष सार्थी द्वारा प्रदर्श पी-5 के माध्यम से चलाया जाना बताया है।

12— उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने मोटरसाईकिल के मालिक को धारा-133 मोटरयान अधिनियम के तहत नोटिस देकर उक्त घटना के समय आपका वाहन कौन चला रहा था, की जानकारी चाही गई थी, जिसमें वाहन मालिक आशा वरकड़े ने वाहन ओमप्रकाश के द्वारा वाहन चलाने की बात बताई थी। नोटिस एवं जवाब की प्रति चालान के साथ संलग्न किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन

का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि घटना के समय आहत ओमप्रकाश को चार पहिया वाहन के चालक द्वारा टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की थी। आहत ओमप्रकाश (अ.सा.5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके पास मोटरसाईकिल चलाने का लायसेंस नहीं था तथा उसने वाहन चालक को नहीं देख पाया था। कृष्णा यादव (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी आरोपी की पहचान नहीं की है। अन्य साक्षी रौनूसिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान चालक के रूप में की है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि दुर्घटना उसके सामने घटित नहीं हुई थी और वह भीड़ देखकर मौके पर गया था। इस साक्षी ने पक्षविरोधी होने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने मोटरसाईकिल चालक चार पहिया वाहन ने ठोस मार दिया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि भीड़ लग चुकी थी, तब गया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने वाहन चालक को नहीं देख पाया था।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक की पहचान स्पष्ट रूप से आरोपी के रूप में नहीं की है। मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि घटना के समय उक्त दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी ही चला रहा था। उक्त मामले में दुर्घटना होना तथा दुर्घटना में आहत ओमप्रकाश को घोर उपहति कारित होना प्रमाणित है, किन्तु दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की स्पष्ट पहचान न होने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था। ऐसी दशा में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा कथित उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाते हुए मानव जीवन संकटापन्न कारित किया या उक्त के परिणाम स्वरूप आहत ओमप्रकाश को घोर उपहति कारित हुई।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक-25.06.2012 को सुबह 10-10:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत

बिरसा बेरियर के पास लोकमार्ग वाहन टाटा इंडिका क्रमांक-सी.जी-04/एच.बी-1611 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत ओमप्रकाश की मोटरसाईकिल को ठोस मारकर आहत ओमप्रकाश को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा विस्टा क्रमांक-सी.जी-04/एच.बी-1611 मय दस्तावेज सुपुर्ददार राकेश नाहर पिता सोनराज नाहर, निवासी-वर्धमान ज्वेलरी, बंजारी रोड रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट